संख्या- 2473 /58-1-2025

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति,
उत्तर प्रदेश।

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग दिनांक- 12 जुलाई, 2025

विषयः-पेयरिंग (Pairing) के फलस्वरूप रिक्त हुये विद्यालय भवनों में आंगनवाड़ी केन्द्रों को शिफ्ट किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया

अवगत कराना है कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों, गर्भवती-धात्री महिलाओं एवं अन्य लाभार्थियों को स्वास्थ्य, शाला पूर्व शिक्षा एवं पोषण से सम्बन्धित विभिन्न सेवायें प्रदान की जाती हैं। 03 से 06 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रतिदिन उपस्थित होकर शालापूर्व शिक्षा प्राप्त करते हैं। बच्चों को सुखद एवं अनुकूल वातावरण प्रदान किये जाने तथा विभागीय योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु आधारभूत सुविधाओं से युक्त संचालन स्थल/आंगनबाड़ी केन्द्र भवन की आवश्यकता होती है।

2- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शाला पूर्व शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इस हेतु समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा योजनाबद्ध तरीके से आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु निरंतर संसाधन एवं वातावरण सृजन संबंधी कार्य किया जा रहा है तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं एवं शैक्षणिक सामग्री से संतृप्त किया जा रहा है। वर्तमान में विद्यालय परिसर में अवस्थित सभी आँगनवाडी केन्द्रों को बाल वाटिका घोषित किया गया है। संसाधनों के अधिकतम उपयोग के दृष्टिगत जनपदों में कतिपय विद्यालयों के युग्मन (Pairing of Schools) के उपरान्त रिक्त विद्यालयों का उपयोग 'बाल वाटिका' के रूप में किए जाने की अपेक्षा की गयी है। इस सन्दर्भ में अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग तथा महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश के क्रमशः प्रेषित पत्र दिनांक 16 जून, 2025 तथा 09 जुलाई, 2025 द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों के अन्तर्गत कुल 10,827 रिक्त विद्यालयों की मैपिंग उपयुक्तता के आधार पर निकटस्थ आंगनवाड़ी केन्द्र से कराते हुये शिफ्टिंग की कार्यवाही की जानी है, इसके लिये जनपद स्तर पर सर्वेक्षण कराया जाना आवश्यक है।

3- **सर्वेक्षण/शिफ्टिंग संबंधी कार्य-सर्वेक्षण/ शिफ्टिंग** किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना है:-

1- जनपद में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी के साथ बैठक की जायेगी।

2- विकास खण्ड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कर लिया जाए। जिससे संबंधित विद्यालयों में निकटस्थ आंगनवाड़ी केन्द्रों को शिफ्ट कराने के संबंध में तथ्यात्मक औचित्य का पता चल सके।

4- **सर्वेक्षण में निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही की जानी है:-**

(1) रिक्त विद्यालय में यह देख लें कि क्या विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष में अथवा विद्यालय के परिसर में विभागीय भवन में पूर्व से केन्द्र का संचालन हो रहा है। ऐसी स्थिति में रिक्त हुये विद्यालय में बाल वाटिका (आंगनवाड़ी केन्द्र) के बच्चे विद्यालय के भवन की आधारभूत सुविधाओं यथा पेयजल, शौचालय एवं प्ले एरिया आदि का अधिक सुगमता से उपयोग कर सकेंगे, जो उनकी लर्निंग में सहायक होगा।

(2) रिक्त हुए विद्यालय से निकटस्थ ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र को शिफ्ट करने के लिये प्रस्तावित किया जाए जो अधिकतम 500 मी0 अथवा उसके आस-पास की दूरी पर हो। शिफ्टिंग प्रस्तावित करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि विद्यालय के भवन की स्थिति संतोषजनक हो और बच्चों की सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से उपयुक्त हो।

(3) यदि रिक्त हुये विद्यालय के भवन की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है अथवा निकटस्थ आंगनवाड़ी केन्द्र से विद्यालय की दूरी अधिक है, तो बच्चों की सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से अनुपयुक्त पाए जाने पर आंगनबाड़ी केन्द्रों की शिफ्टिंग ना की जाए।

(4) यदि आंगनवाड़ी केन्द्र का संचालन वर्तमान में बेहतर ढंग से हो रहा है तथा संचालन स्थल पर आधारभूत सुविधाओं यथा पेयजल, शौचालय, विद्युतीकरण आदि की संतृप्तता के साथ बच्चों के लिए प्ले ऐरिया है और भवन की स्थिति संतोषजनक है तो ऐसे केन्द्रों को शिफ्टिंग के लिये प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। विभागीय रणनीति बेसिक शिक्षा विभाग एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रमशः अपने खण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों के माध्यम से उपरोक्त विद्यालयों/आंगनबाड़ी केन्द्रों का सर्वेक्षण करते हुए मैपिंग की कार्यवाही की जाएगी। मैपिंग में उपयुक्त/अनुपयुक्त पाए गए विद्यालयों का विवरण सावधानीपूर्वक तैयार करते हुए शिफ्टिंग की कार्यवाही बच्चों के पठन-पाठन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रस्तावित की जाएगी।

क्र0सं0	कार्य	लक्षित अवधि
1	रिक्त भवनों का सर्वे तथा वर्गीकरण(कोलोकेटेड, उपयुक्त तथा अनुपयुक्त)	15 दिवस/दिनांक.....
2	संबंधित हितधारकों के साथ बैठक(प्रधान, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, अभिभावक)	15 दिवस/दिनांक.....
3	शिफ्टिंग योग्य पाये गये विद्यालय भवनों का चिन्हांकन एवं उनकी साज-सज्जा	15 दिवस/दिनांक.....
4	उपयुक्त पाये गये विद्यालय भवनों में आंगनवाड़ी केन्द्रों की शिफ्टिंग	15 दिवस/दिनांक.....

5- **जनपद स्तर पर समिति का गठन**

जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में निम्न विवरणानुसार समिति का गठन कर पेयरिंग (Pairing) के फलस्वरूप रिक्त हुये विद्यालयों में आंगनवाड़ी केन्द्रों को शिफ्ट किये जाने हेतु जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा:-

1. मुख्य विकास अधिकारी - अध्यक्ष
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - सदस्य सचिव
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी - सदस्य
4. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी - सदस्य
5. संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी - सदस्य

6- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने कुशल नेतृत्व में पेयरिंग (Pairing) के फलस्वरूप रिक्त हुये विद्यालयों में आंगनवाड़ी केन्द्रों को शिफ्ट किये जाने के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करे, जिससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए बाल वाटिकाओं में बच्चों के पठन-पाठन हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो सके।

भवदीया,

(लीना जौहरी)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन: 2473 /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(बी0 चन्द्रकला)
सचिव।